कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2422/14–10 ,अलीगढ़ः दिनांकः फरवरीः 05 ,2018

सेवामें,

उप महाप्रबन्धक (लाईन निर्माण)
पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0,
उत्तरी क्षेत्र–3, फ्लैट नं0–304, ब्लाक–डी,
ग्रीनपार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड,
पोस्ट–क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

विषयः– **पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन (पार्ट–2) पैकेज टी0ई0–09 पारेषण लाइन को वन भूमि के ऊपर से निकालने तथा 0.6595 हे0 वन भूमि हस्तांतरण एवं प्रभावित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– आपका पत्रांक उ0क्षे0–3/अलीगढ़/वन विभाग/1389 दिनांक 02.02.2018

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के अवलोकन में निम्न कमियां पायीं गयीं।

1. "Total period for which the forest land is proposed to be diverted" में अवधि 90 वर्ष अंकित किया गया है, इसे 30 वर्ष अंकित करें।
2. वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ की मुहर अंकित नहीं है।
3. प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों, पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की गणना, शाखा तराशी हेतु प्रस्तावित वृक्षों की सूची निर्धारित प्रारूप पर अलग–अलग प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाये।
4. प्रस्तावित वनभूमि में अवस्थित पौधों (0–30 सेमी0) की सूची संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित करते हुए टोपोशीट पर टाईटल/शीर्षक अंकित नहीं है।
6. संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट पर प्रस्तावित स्थल को अंकित नहीं किया गया है।
7. वन स्वरूप न होने का प्रमाण पत्र, परियोजना से 10 किमी0 में हाथी कॉरीडोर, सेंचुरी न होने का प्रमाण पत्र, प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र है, इसमें प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं किये जाने है, संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
8. छोटे व शोभाकार पौधों के रोपण सम्बन्धी वचनवद्धता, पेड़ों के छपान में सहयोग हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
9. Justification for locating the project in the forest land सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
10. टास्क फोर्स सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
11. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल के टोपोशीट, DGPS map, .kml file उपलब्ध करायें।
12. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ न करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
14. प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि में लगाये जाने वाले टावरों की संख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः भारत सरकार की विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, युद्ध स्तर पर कार्यवाही करते हुए, उपरोक्त कमियों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव आवश्यक संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

05-02-18

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2422/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

05-02-18

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

Received
05/2/18
7260060679